जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीतापुर

वर्ष : 01 | अंक–01 | समाचार पत्र | मई 2024 | पृष्ठ : 4

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जेल में निरूद्ध तथा धारा 12 की परिधि में आने वाले व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता की सुविधा प्रदान की जाती है ।इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में लीगल एड डिफेंस काउंसिल (विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली) की व्यवस्था की गई है जिसका उद्देश्य आपराधिक मामलों में पीड़ित व्यक्ति को पूर्णतः निशुल्क न्याय प्रदान करना है।

इस प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित है

1 विधिक सहायता की निर्धनतम व्यक्ति तक उपलब्धता

2 पैरा लीगल वालंटियर के माध्यम से दूर दराज गांवों तक विधिक जागरूकता का प्रसार

3 अनुभवी वकीलों द्वारा निशुल्क सहायता

4 मामलों की अपील विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को भेजना

जिला सीतापुर में वर्तमान में चार LADC नियुक्त है जो वर्ष 2023 जनवरी से प्रभावशाली ढंग से कार्यरत हैं। वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री बृजेंद्र कुमार

अवस्थी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल है तथा श्री सुजीत वाजपेई डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल है। दो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्रीमती शुभांशी तिवारी तथा श्री अंकुर वर्मा नियुक्त किए गए हैं ।

LADC के अधिवक्ताओं के द्वारा पिछले 1 वर्ष में मामलों की पैरवी 4000 से अधिक बार न्यायालय में की जा चुकी है। लगभग 130 बार जेल निरीक्षण किया गया है तथा लगभग 210 से अधिक जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किए गए जिसमें से 194 जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत है। इस एक वर्ष में लगभग 17 पत्रावलियों को पूर्णतः निस्तारित कराया गया जिसमें से लगभग 16 लोगों को दोष मुक्त कराया गया ।इसके अलावा 150 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तारी पूर्व विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई एवं 50 से अधिक लोगों की रिमांड स्टेज पर जमानत करवाई गई । लीगल एड डिफेंस काउंसिल के ऑफिस में प्रतिदिन लगभग 20–30 व्यक्ति विधिक परामर्श हेतु आते हैं जिनकी पूर्ण लगन के साथ सहायता की जाती है ।इसके अलावा जिला कारागार सीतापुर में लीगल एड क्लीनिक भी LADC के चारों अधिवक्ताओं द्वारा संचालित किया जा रहा है जिस पर कारागार में निरुद्ध बंदी जाकर विधिक परामर्श प्राप्त करते हैं तथा आवश्यकता अनुसार अपना वकील LADC को नियुक्त करते हैं । इस प्रकार LADCS के अधिवक्तागण समाज के निर्धन व पिछड़े वर्गों का विधिक प्रतिनिधित्व करते हुए कारागार के कैदियों को उनके अधिकारों एवं स्वतंत्रता का आभास कराते हैं तथा पुनर्वासित करते हुए उनमें आत्मविश्वास का संचार करते हैं ।

पुनर्वास

एक कैदी सुमित (परिवर्तितनाम)जो जिला कारागार सीतापुर में एक गंभीर अपराध में निरुद्ध था।उसके परिवार में उसके मामले की पैरवी करने वाला कोई नहीं था।किसी तरह कारागार में मिली मजदूरी की धनराशि से उसने एक वकील से जमानत हेतु आग्रह किया परंतु उसकी जमानत न हो सकी फिर वह एक दिन लीगल एड क्लीनिक, जो जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया है पर आया और निशुल्क अधिवक्ता प्रदान किए जाने और पैरवी करने हेतु स।क्ब के ऑफिस में पत्र प्रेषित किया। LADC अधिवक्तागण ने उसकी परिस्थिति समझते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया परंतु स।क्ब की निपुण कार्यशैली तथा प्रभावशाली बहस के परिणामस्वरुप सुमित की जमानत हो गई । तत्पश्चात सुमित के इतने वर्ष कारागार में व्यतीत हो जाने के कारण न ही उसका कोई रिश्तेदार न ही मित्र उसकी सहायता के लिए तैयार थे। उसकी रोजी–रोटी की समस्या सामने आ गई। फिर स।क्ब ने सुमित को पुनर्वासित करते हुए उसे न्यायालय में ही अस्थाई नौकरी दिलवाई जिससे वह अपनी कमाई से अपनी पढ़ाई जारी कर सका।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कराया सुलह समझौता

मध्यस्थता की प्रक्रिया कोई नई संरचना नहीं है, अपितु प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में मध्यस्थता का प्रयोग होता आ रहा है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मध्यस्थता केंद्र में विवादों को निपटने के लिए प्री–लिटिगेशन वह मध्यस्थ की प्रक्रिया आयोजित की जाती है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में इस माह, एक शिक्षित पति–पत्नी के बीच का विवाद प्रकाश में आया था। पति दूसरे शहर में नौकरी करता था और दोनों के बीच अलग–अलग रहने के कारण आपसी विवाद उत्पन्न हो गया था। पत्नी को शंका थी कि उसका पति किसी और लड़की के साथ दूसरे शहर में विवाह करके रह रहा है। उसका पति अकेलेपन की वजह से मानसिक तनाव से गुजर रहा था। इसके परिणाम स्वरूप, दोनों के बीच विवाद होने लगे। कोर्ट में वाद दाखिल किया गया और कोर्ट से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सुलह समझौता केंद्र भेजा गया। मध्यस्थ द्वारा दोनों पक्षों के मध्य वार्ता कराई गई और उनकी आपसी गलत फहमी को दूर किया गया, जिससे वे हंसी–खुशी एक साथ जाकर रहने लगे।

मानसिक विक्षिप्त महिला को न्याय

एक मानसिक विक्षिप्त महिला, जिसे सीतापुर जिला चिकित्सालय में उचित उपचार नहीं मिल पाने के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (केजीएमसी), लखनऊ में भेजा गया, वहां उपचारा धीन है।अस्पताल से भागने की प्रवृत्ति और अपने कपड़े उतारने की घटनाओं के बाद, इस महिला को अधिक विशेषज्ञ देखभाल की आवश्यकता थी। जिलाचिकित्सालय के सूत्रों के अनुसार, महिला को पहले उपचार के लिए लाया गया था, लेकिन संसाधनों की कमी और विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपस्थिति में, उसे उचित देखभाल और उपचार प्रदान करना संभव नहीं था।इस के चलते, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हस्तक्षेप किया और महिला को बेहतर उपचार के लिए केजीएमसी भेजने कानिर्णय लिया। अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि महिला की गरिमा और निजता का पूरा सम्मान किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति को उचित न्यायिक और चिकित्सा सहायता प्रदान करना है, खासकर उन्हें जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों से हैं। इस घटना ने जिला चिकित्सालयों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता पर प्रश्न उठाए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इस कदम को सामाजिक संवेदन शीलता और न्यायिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

वन स्टॉप सेंटर मे बालिकाओ से अपर जिला ज़ज मे की वार्ता

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार तृतीय के निर्देशन में अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा वनस्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया गया ड्यूटी रोस्टर के अनुसार सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित मिले। शेल्टर होम की स्वच्छता की जांच की गई। उपस्थित बालिकाओं से संवाद के दौरान पता चला कि खाना इत्यादि सभी सुविधाएं समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं। अन्य व्यवस्था संतोष जनक पायी गई।

शुभकामना संदेश – श्री मनोज कुमार – III जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर)

पंक्ति मे खड़े अन्तिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने की भारतीय संविधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की भावना के अनुरूप राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीतापुर गतिमान रूप से कार्य कर रहा है। विक्षिप्त, मानसिक रोगी, बेजुबानों, निर्धनों इत्यादि को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने एवं समाज के कमजोर वर्ग को विधिक रूप से जागरुक बनाने के लिए पैनल वकील, लीगल एड डिफेन्स काउंसिल की टीम, मीडिएटर, पराविधिक स्वयं सेवक (PLV) की टीम एवं स्वैच्छिक सेवायें देने वालें अन्य स्वयं सेवकों की टीम, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीतापुर के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीतापुर की टीम द्वारा अपना मासिक समाचार पत्र भी शुरू किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों को जन–जन तक पहुँचाना एवं जन जागरुकता उत्पन्न करना है। इस शुरुआत के लिए मैं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी व उनकी टीम को मंगलकामनाएं देता हूँ।

शुभकामना संदेश – श्री नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव)

न्याय सबके लिए, यही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीतापुर का लक्ष्य है। इसके लिए पैनल लायर्स, पराविधिक स्वयं सेवक, लीगल डिफेन्स काउंसिल (एल०डी०सी०), मीडिएटर सहित स्वेच्छिक स्वयं सेवकों की एक पूरी टीम अनवरत कार्यरत है एवं दिन प्रतिदिन अनेक गतिविधियां इसीलिए संचालित की जा रही है। हमारा यह प्रयास है कि सीतापुर के हर गांव, घर तक हम पहुँचे एवं सभी जरूरत मंदो, वांछित व्यक्तियों को विधिक सहायता निःशुल्क व सहज प्राप्त कराएँ एवं सभी को विधिक साक्षर बनाया जाए। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीतापुर अपना समाचार पत्र शुरू कर रहा है। इस प्रयास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री आशुतोष शुक्ला, श्रीमती सुभांषी बाजपेई एवं नैमिष टुडे की टीम का मैं हृदय से आभारी हूँ

मध्यस्थता विवाद सुलझाने का बेहतर तरीका

मध्यस्थता किसी तीसरे पक्ष यानी मध्यस्थ की मदद से विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने की प्रक्रिया है। मध्यस्थ पहले पार्टियों के बीच शामिल मुद्दों को सुनने, समझने और फिर पार्टियों के मौजूदा मुद्दों को हल करने के लिए सर्वोत्तम संभव समाधान का सहारा लेने में पार्टियों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुरुआत में ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप समझौते को विकृतकर सकता है या पार्टियों के बीच मुद्दों को हल करने के लिए किसी प्रगतिशील निर्णय को विकृ त कर सकता है। लेकिन यहां मध्यस्थता प्रक्रिया में विवाद को सुलझाने के लिए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है और जिसके लिए संसद ने हाल ही में एक कानून यानी मध्यस्थता अधिनियम, 2023 बनाया है। उपर्युक्त कानून के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और इस लिए संबंधित मामले में पार्टियों की उपस्थिति के 90 दिनों के भीतर पार्टियों के बीच समझौता होना चाहिए। यदि समझौता या किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं किया गया है तो मध्यस्थता मध्यस्थ के समक्ष समाप्त हो जाएगी। मध्यस्थ की भूमिका विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण होती है, खास कर पारिवारिक विवादों में। यह प्रक्रिया विवादों को निपटाने के लिए एक माध्यम होती है जिस में दो पक्षों को सुना जाता है और उन्हें निष्पक्ष तरीके से समाधान की ओर ले जाता है। मध्यस्थ को यह

सुनिश्चित करना होता है कि वह निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है और विवाद के प्रत्येक पक्ष को समाधान की दिशा में मदद करता है। यदि मध्यस्थ को लगता है कि वह निष्पक्ष नहीं रह सकता, तो उसे हटा दिया जाता है और नया मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है। इस के साथ ही, मध्यस्थ को गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता होती है और वह मध्यस्थता प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवरण को खुलासा नहीं कर सकता। पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता एक प्रमुख विकल्प होती है, खासकर जब पक्षों की भावनाएं अधिक होती हैं। भारत में यह प्रक्रिया पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984, सिविल प्रक्रिया संहिता, हिंदू विवाह अधिनियम और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में निर्धारित है। अयोध्या विवाद के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता को अनिवार्य कर दिया था, जिस से विवाद को समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। मध्यस्थता, अदालत के विपरीत, पक्षों को अपनी अतिरंजित भावनाओं, पूर्वाग्रहों आदि को बाहर निकालने का पूरा अवसर प्रदान कर सकती है, और इस तरह उन्हें अनावश्यक भावनात्मक मुद्दों से छुटकारा दिला सकती है। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि पार्टियां संयुक्त रूप से अपने वास्तविक मुद्दों, अंतर्निहित जरूरतों और भविष्य के लक्ष्यों, साथ ही संभवतः, उनकी साझा आम मान्यताओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करें। मध्यस्थता अधिनियम, 2023 में विवाद को निपटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मध्यस्थता न केवल पारिवारिक मामलों में बल्कि अन्य प्रकार के मामलों जैसे वित्तीय मामलों में भी सफल होती है। जो लोग वित्तीय या पारिवारिक मामलों से संबंधित कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं, वे अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए किसी भी समझौते से पीछे हटने के बजाय एक–दूसरे से आंखें मिलाकर अपने विवादों को सुलझा सकते हैं। वादियों को ऐ से उपाय अपनाने या शुरू करने चाहिए यदि उनके मामले पहले से ही कई वर्षों से लंबित हैं, भले ही वे ऐसे उपायों का सहारा ले सकते हैं क्यों कि एक प्रसिद्ध कहावत है कि कभी न होने से देर होना बेहतर है।

–निशा झा (अपर जिला जज, पारिवारिक न्यायालय)

मध्यस्थता इस महीने की झलकिया

मध्यस्थता की भूमिका

– मध्यस्थ केंद्र विवादों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सुलझाने में मदद करते हैं।

– विवादित पक्षों के बीच वार्ता कराने के लिए मध्यस्थ की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

– ये केंद्र विवादों को विशेषज्ञता और विश्वास के साथ निपटाने में मदद करते हैं।

मध्यस्थता केंद्र के लाभ

– विवादित मामलों को अदालती प्रक्रिया से बाहर रखकर तेज़ निपटाने में मदद करते हैं।

– विवादित पक्षों के बीच सुलह की प्रक्रिया को सुगम और विश्वासपूर्ण बनाते हैं।

– न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तेज़ बनाने में मदद करते हैं।

समापन

मध्यस्थता केंद्रों का उद्देश्य न्याय की दिशा में विवादों को निपटाने में मदद करना है। ये केंद्र न्यायिक प्रक्रिया को सुगम और तेज़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

DLSA

"विधिक सेवा प्राधिकरण सबसे अच्छा,
सस्ता न्याय दिलाता है।
चाहे कोई आतंकी हो ,
चाहे नक्सलवादी
चला चाबुक न्यायालय का ,
सबको ठंडा कर देता है।
मुन्नू भरुआ को न्याय मिला,
ये देन विधिक सेवा की है।
विधिक सेवा प्राधिकरण सबसे अच्छा,
सस्ता न्याय दिलाता है ।
–श्री वीरेंद्र मिश्रा (PLV)

विधिक सेवा के नायक

जिला विधिक प्राधिक सेवा प्राधिकरण,
असहायों की रक्षा करने का योगदान।
जिले के न्यायाधीश की अध्यक्षता में,
समानता की ओर एक कदम बढ़ाने का आदान–प्रदान।
विधिक सहायता कार्यक्रमों को गति देने का काम,
जिला स्तर पर उनकी देखभाल करने का नाम।
जिला न्यायालय परिसर में स्थित,
विधिक सेवा के नायकों की यह विशेषित चित्रित।
असहाय और निर्धन को न्याय की दिशा में,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की यह विशेषता।
विधिक सेवा के नायक, तुम हो हमारी आशा,जिला स्तर पर न्याय की राह में बढ़ते जाओ सदा।
–शुभांशी तिवारी (LADC)

जिलाकारागार का किया निरीक्षण

माननीय एडीजे/सचिव महोदय श्री नरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के निर्देशन में डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री सुजीत बाजपेई एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्रीमती शुभांशी तिवारी द्वारा सीतापुर जेल का निरीक्षण किया गया । जेल निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक महोदय श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा बच्चा बैरक,पुरुष बैरक तथा महिला बैरक के कैदियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। तथा रसोईघर का मुआयना किया गया। बच्चा बैरक में कुल कैदी संख्या 13 पाई गई जिसमें से 2 वयस्क कैदी निगरानी हेतु लंबरदार है। एक कैदी विशाल पुत्र बिंद्रा को निशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता लीगल एड हेतु है जिसके संबंध में जेल पैरा लीगल वॉलेंटियर को स।क्र को लेटर भेजने का निर्देश दिया गया।बाकी सभी के पास प्राइवेट वकील पहले से कार्यरत है। वयस्क पुरुष बैरक में कुल 44 कैदी पाए गए जिनमें से 40 कैदियों के पास प्राइवेट वकील है तथा बाकी 4 कैदियों के वकील LADC निशुल्क अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है।साथ वाली दूसरी पूरी बैरक खाली पाई गई पूछने पर बताया गया कि रसोईघर में कार्यरत सभी कैदियों को एक ही बैरक में रखा जाता है इसीलिए पूरी बैरक खाली है। महिला बैरक में निरीक्षण के दौरान दो महिला कैदियों मायादेवी व अनीता का निशुल्क अधिवक्ता हेतु DLSA लेटर बनाने का निर्देश दिया गया।एक महिला कैदी रूपा को उसके बच्चों के बारे में अवगत कराया गया जिनको कैदी के ससुराल वाले मिलने नहीं दे रहे थे न ही कोई जानकारी उपलब्ध करा रहे थे। LADC द्वारा उसके घर PLV भेजकर बच्चों के बारे में जानकारी ली गई।एक महिला कैदी तारा देवी को LADC द्वारा उसकी केस फाइल मुआयना तथा अगली पेशी के बारे में अवगत कराया गया। रसोई घर के निरीक्षण के दौरान सभी कार्यरत कैदी साफ–सुथरे तथा भोजन बनाने हेतु आवश्यक स्वच्छता का भाव पाया गया। भोजन भी उचित सफाई से कैदियों को उपलब्ध कराया जा रहा था। जेल निरीक्षण के दौरान ही एक कैदी नवीन गुप्ता पुत्र विकास गुप्ता द्वारा उसकी रिहाई जो की गलत टाइप हो गई थी उसके संशोधन की प्रार्थना की गई।

पैरा लीगल वालंटियर (परा विधिक स्वयंसेवक)

परा विधिक स्वयंसेवक (PLV) विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चुने जाने वाले व्यक्तियों होते हैं। ये व्यक्ति समाज को निशुल्क विधिक सहायता व उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हैं और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय प्रदान करने में मदद करते हैं । इन्हें समाज में कई प्रकार के काम मिलते हैं। ये काम न्यायिक सेवा के क्षेत्र में होते हैं वे समाज में विधिक अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इन्हें वकीलों के रूप में नहीं चुना जाता है, लेकिन उनका मुख्य काम समाज और न्याय संस्थाओं के बीच की दूरी को कम करना होता है । ये व्यक्ति गांव–गांव जाकर न्याय के लिए प्रयासरत लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं और छोटे झगड़ों में मध्यस्थता के माध्यम से समझौता करवाने में सहायता करते है। PLV न्यायिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों के माध्यम से गरीब और असहाय लोगों को न्यायिक सहायता प्रदान करते हैं। ये काम व्यक्ति के क्षमताओं, रुचियों और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकते है। इसके अलावा, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा–लीगल वालंटियर के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है ।

निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया अयोजन

शहर के होटल एप्पल में अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया जिस का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र त्रिपाठी द्वारा किया गया। श्री त्रिपाठी द्वारा निम्न स्वास्थ्य परिस्थितियों के मध्य निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के आयोजन की सराह ना की।

निशुल्क विधिक सहायता

निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी, फौजदारी राजस्व व प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है । निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विधिक सेवाएं संस्थाएं हैं

1) राष्ट्रीय स्तर रू राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

2) राज्य स्तर पर रू राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

3) जिला स्तर पर रू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

4) उप मंडल/तालुका रू उप मंडल/तालुका विधिक सेवा एवं समिति स्तर पर

5) उच्च न्यायालय रू उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति स्तर पर

6) उच्चतम न्यायालय रू सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति स्तर पर

निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए निम्न व्यक्ति पात्र है रू–

1)महिला और बच्चे

2) अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य 3) औद्योगिक कामगार

4) बड़े पैमाने पर प्राकृतिक/औद्योगिक आपदा जातीय, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित 5) विकलांग व्यक्ति

6) हिरासत में व्यक्ति

7) वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम है या जो आय सीमा केन्द्र / राज्य सरकार अधिसूचित करती है

8) मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित

अपराध के पीड़ितों हेतु क्षतिपूर्ति योजना

यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ हो, तो उसे चिकित्सीय, वित्तीय एवं शैक्षणिक सहायता हेतु क्षतिपूर्ण प्रदान किये जाने का प्राविधान किया जाता है।

पात्रता

1. कोई भी पीड़ित व्यक्ति अथवा उसका आश्रित क्षति पूर्ति हेतु आवेदन कर सकता है।

2. हत्या, बलात्कार, अंगभंग, एसिड हमला, मानसिक संताप, मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति, यौन उत्पीड़न गर्भ की क्षतिपूर्ण / आंशिक विकलांगता, क्रास बार्डर फायरिंग से पीड़ित व्यक्ति इत्यादि क्षति पूर्ति हेतु आवेदन कर सकते है।

3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) 2012 में वर्णित यौन अपराधों के पीड़ित नाबालिग बच्चे भी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र है।

4.यदि अपराधी का पता नहीं चलता है या उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है लेकिन पीड़ित की शिनाख्त हो जाती है और जहाँ मुकदमे का कोई विधारण न्यायालय में शुरू नहीं होता है वहाँ भी पीड़ित या उसका आश्रित क्षति पूर्ति के लिए आवेदन कर सकता है।

5. यदि घटना के 48 घण्टे के अन्दर एफ०आई०आर० करा दी है, तो वह क्षति पूर्ति के लिये पात्र होगा / एफ०आई०आर० में विलम्ब उचित आधार पर माफ किया जा सकता है।

6. यह आवश्यक है की पीड़ित द्वारा विचारण एवं अन्वेषण के द्वारा पुलिस अभियोजन पक्ष को सहयोग दिया गया हो।

प्रक्रिया

1. क्षतिपूर्ति के लिये प्रार्थना–पत्र, पीड़ित/आश्रित व्यक्ति के द्वारा सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा संबधित न्यायालय में दिया जा सकता है, जिसकी संस्तुति न्यायालय द्वारा की जा सकती है।

2. अपराध घटित होने के एक वर्ष की अवधि के अन्दर प्रति कर हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए।

3.जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्षति पूर्ति से इंकार करने पर 90 दिन के अन्दर उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकते है।

4. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबधित पुलिस अधिकारी के लिये वह आवश्यक है कि वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को तत्काल अन्तरिम प्रति कर हेतु सूचना प्रेषित करे।

5. पीड़ित व्यक्तिया आश्रित अथवा थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा भी अन्तरिम अथवा अन्तिम प्रतिकर हेतु संबधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना–पत्र प्रेषित किया जा सकता है। प्रार्थना–पत्र के साथ एफ०आई०आर० की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

6. अपराध की संवेदन शीलता एवं पीड़ित की विशेष आवश्यकता के आधार पर रू0 25,000/– से रू0 1,00,000/–तक विशिष्ट उपचार एवं देखभाल हेतु अन्तरिम सहायता प्रदान की जासकती है।

7. पीड़ित को मुफ्त चिकित्सा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर थानाध्यक्ष अथवा क्षेत्र के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।

8. जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को मी पीड़ित/पीड़िता, जिला शासकीय अधिवक्ता या ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के माध्यम से क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थना–पत्र दे सकते हैं

तैयारी लोक अदालत की

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय के निर्देशन में पराविधिक स्वयंसेवकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव /अपर जिला जज नरेंद्र त्रिपाठी के द्वारा आहूत की गई। बैठक में पीएलवी को लगन ,निष्ठा व ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन के पाठ पढ़ाए गए ।आगामी 13 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यापक प्रचार प्रसार से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए ।

4इसी क्रम में एक अन्य बैठक आयोजित की गई। बैठक नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत /अपर जिला अध्यक्ष कोर्ट संख्या 14 भागीरथ वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समस्त बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह सभी अपनी–अपनी बैंक से संबंधित समस्त संबंध नोटिस समय से कार्यालय को उपलब्ध कराएं जिससे नोटिस पर समय भीतर आवश्यक कार्रवाई की जा सके ।

तहसीलदारों के साथ की गई बैठक

तहसीलदारों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु एक बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/अपर जिला जज कोर्ट संख्या–14, श्री भगीरथ वर्मा, की अध्यक्षता में आहूत की गयी। अपर जिला जज/सचिव, महोदय द्वारा उपस्थित समस्त तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों को निर्देर्षित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक–13.07.2024 में निस्तारित होने योग्य वादों को अधिक से अधिक चिन्हांकित करें तथा निस्तारित किये जाने हेतु सफल प्रयास किये जाये। उक्त

बैठक में तहसीलदार, मिश्रिख, महमूदाबाद, लहरपुर अनुपस्थित रहे एवं अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कोई सूचना एवं पत्राचार नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी सीतापुर अवगत कराया जा रहा है।

बार एशोसिएशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ बैठक

सीतापुर मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर, ''श्री मनोज कुमार तृतीय'' के निर्देशानुसार, अपर जिला जज/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ''श्री नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी'' द्वारा आज दिनांक–15.05.2024 एक बैठक बार एशोसिएशन के अध्यक्ष श्री विजय कुमार अवस्थी व महासचिव, श्री दिनेष कुमार त्रिपाठी, बार एशोसिएशन तथा श्री आशुतोष शुक्ला मीडिया प्रभारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले कानूनों के प्रति अधिवक्तागण एवं आम जन–मानस में जागरूक फैलाने हेतु रूप–रेखा तैयार किये जाने के विशय पर चर्चा की गयी। 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने तथा इस सम्बन्ध में जानकारी के आदान प्रदान किये जाने हेतु वार्ता की गयी तथा पुराने वादों के निस्तारण सम्बन्धी मा0 उच्चतम न्यायालय के मॉडल एक्शन प्लान के सन्दर्भ में भी अध्यक्ष व महासचिव, बार एशोसिएशन द्वारा अपने सुझाव साझा किये गये। इसके अतिरिक्त जल संरक्षण हेतु जन–जागरूकता फैलाने हेतु आगामी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई।

अपर जिला जज ने बैंक अधिकारियों के साथ की बैठक

सीतापुर दिनांक मा० उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र के अनुपालन में मा० जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर श्री मनोज कुमार–III के निर्देशानुसार, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावित आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक–13.05.2024 के सन्दर्भ में समस्त बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/अपर जिला जज कोर्ट संख्या–14, श्री भगीरथ वर्मा की अध्यक्षता में आहूत की गयी। अपर जिला जज/सचिव, महोदय द्वारा उपस्थित समस्त बैंक अधिकारियों को निर्देर्शित किया गया कि वह सभी अपनी–अपनी बैंक से सम्बन्धित समस्त सम्मन नोटिस समय से कार्यालय को उपलब्ध करा दें जिससे कि समस्त सम्मन नोटिस पर समय से हस्ताक्षर किये जा सके और उन्हें तामीला हेतु भेजा जा सके।

अपर जिला जज, ने जिला कारागार का किया साप्ताहिक निरीक्षण

सीतापुर मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुपालन में मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर श्री मनोज कुमार तृतीय द्वितीय, के निर्देशानुसार आज दिनांक 10.05.2024 को समय–01:00 बजे के उपरान्त ''श्री नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी'' अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर द्वारा जिला कारागार का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम जिला कारागार सीतापुर में महिला बैरक का निरीक्षण किया गया, महिला बन्दियों से वार्ता कर उनके मामले एवं अधिवक्ता के बारे में जानकारी ली गयी। सभी महिला बन्दियों द्वारा बताया गया कि सभी के पास उनके अपने निजी अधिवक्ता उपलब्ध है। दोष सिद्ध महिला बन्दियों से पूछने पर बताया कि जिला कारागार द्वारा जेल अपील तथा निजी अपील कराई जा चुकी है। सभी महिला बन्दियों को निःशुल्क लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के बारे में बताया गया। समस्त महिला बन्दियों द्वारा बताया गया कि उन्हे समय से खाना दिया जाता है। इसके पश्चात बैरक संख्या–02 का भी निरीक्षण किया गया। जिसमें 52 बन्दी निरूद्ध पाये गये तथा बैरक संख्या–3 व 04 का निरीक्षण किया गया। बैरक संख्या–04 में बन्दी इस्लामुद्दीन द्वारा अवगत कराया गया कि जेल लोक अदालत में जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थना पत्र उसके द्वारा दिया गया है। जिला कारागार सीतापुर में स्थित पाकशाला का भी निरीक्षण किया गया पाकशाला में साफ–सफाई सही पाई गयी। निरीक्षण के दौरान पाकशाला में सायंकाल का भोजन नियमानुसार बनते पाया गया एवं महिला बन्दियों द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हे उनके बच्चों से मिलने नही दिया जाता है इस सम्बन्ध में तत्काल प्रार्थना पत्र लेकर लीगल एड डिफेन्स काउंसिल के अधिवक्ता को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जेल निरीक्षण के दौरान साफ–सफाई की व्यवस्था संतोष जनक पाई गयी। इसी क्रम में जिला कारागार सीतापुर में स्थित लीगल एड क्लीनिक का भी निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान एक जेल पी.एल.वी. द्वारा विधिक सहायता हेतु तैयार किये गये सभी रजिस्ट्रों व लीगल एड डिफेन्स काउंसिल अधिवक्ताओं के रजिस्टर की भी जॉच की गयी। निरीक्षण के समय डिप्टी चीफ श्री सुजीत बाजपेई व असिस्टेन्ट श्री अंकुर वर्मा तथा जेल अधीक्षक श्री सुरेश कुमार सिंह, जेलर श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव तथा डिप्टी श्री संतोष रावत व श्री जयपाल एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहा। जेल लीगल एड क्लीनिक के समस्त रजिस्टरों को अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देखा गया, तथा जेल पी.एल.वी. को निर्देषित किया गया कि वह सभी बन्दियों को प्रतिदिन निःशुल्क विधिक जानकारी प्रदान करते रहें।

आभार / धन्यवाद पत्र

जिला विधिक सेवा_प्राधिकरण सीतापुर (उ० प्र०) में कुशलता पूर्वक जन सेवा भाव से पैरालीगल वालेंटियर (पी० एल० वी०) के रूप में कार्य कर रहे श्री रहमत अली द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त कर शाशन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मेरी पुत्री कु० नूरी आयु 12 वर्ष एवम पुत्र फरहान आयु 9 वर्ष को चयनित करा कर उक्त योजना का लाभार्थी बनाया गया | उक्त महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत रु० 2500/प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से सहयोग राशि मिलना संभव हो सका | मेरी बच्चियों के पिता श्री की मृत्यू के बाद आय का श्रोत ही बंद हो गया था जिस कारण बच्चियों की आगे की शिक्षा को रोकना पड़ा , परिवार का भरण पोषण अति आवश्यक होता है शिक्षा तो बाद की बात है |

उक्त योजना से मिली आर्थिक सहायता ने मेरी बच्चियों के लिए शिक्षा के द्वार पुन: खोल दिये हैं | अब हमारी बच्चियाँ समेत परिवार का आर्थिक , सामाजिक ,शैक्षिक स्तर में वृद्धि निरंतर हो रही है इस सामाजिक , शैक्षिक उत्थान का श्रेय सीधे तौर पर **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर** (उ० प्र०) को जाता है इस लाभ के लिये उक्त संस्थान के साथ साथ पैरालीगल वालेंटियर के रूप में नि:श्वार्थ भाव से कार्य कर रहे श्री रहमत अली का भी हमारा परिवार हृदय की गहराइयो से आभार व्यक्त करता है |

सधन्यवाद !

श्रीमती शकीला स्व० श्री एहसान खां

नि० ग्राम व् पोस्ट - नवीनगर

थाना व् तहसील - लहरपुर जनपद - सीतापुर

मो० न० - 6392904451